राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

राजस्व लोक अदालतों में 1151 मामलों का हुआ निस्तारण

झालावाड़ 8 जुलाई/ राजस्व लोक अदालत अभियान '' न्याय आपके द्वार '' कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में मौके पर ही किसानों के राजस्व संबंधी 1151 मामलों का निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों द्वारा 7 जुलाई को ग्राम पंचायत रटलाई, बानीर, दुधालिया, सारोला कलां में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में नामान्तकरण के 316 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार खाता दुरस्ती के 236, खाता विभाजन के 74, खातेदारी धोषणा धारा 88 के 6, स्थायी निषेधाज्ञा के 9, राजस्व नकल के 200, इजराय के 11 टी.आई (स्थगन) के 10 प्रकरणों सहित धारा 251 ए, धारा 86,183 (ए) आर.टी. एक्ट इत्यादि सहित अन्य 299 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।

विशिष्ठ पंजीयन नम्बर हेतु आवेदन आंमत्रित

झालावाड़ 8 जुलाई/ परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान मोटर यान नियग 1990 के नियम 4.3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पंजीयन नम्बर आवंटन के क्रम में जिले में दुपहिया वाहन मोटर साईकिल, स्कूटर आदि हेतु आर.जे. 17 की श्रेणी ''एस एन'' प्रारम्भ की जाने वाली है।

जिला परिवहन अधिकारी दिनेश सिंह सागर ने बताया कि इस श्रेणी में विशिष्ठ पंजीयन नम्बर चाहने वाले आवेदक विभागीय प्रक्रिया के अनुसार विशिष्ठ पंजीयन नम्बर के लिए निर्धारित राशि का डी.डी. नियमानुसार दस्तावेजों के साथ संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 7 कार्य दिवस के अन्दर ही स्वीकार किये जायेगें। एक ही विशिष्ठ नम्बर पर दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया की जावेगी।

उन्होनें बताया कि विशिष्ठ पंजीयन नम्बर आर.जे.17 एस.एम. 9999, आर.जे.17 एस.एन. 0001, आर. जे.17 एस.एम. 0009, आर.जे.17 एस.एन. 0786, के लिए राशि 10 हजार एव इनके अतिरिक्त अन्य सभी विशिष्ठ नम्बरों के लिए राशि 5 हजार निर्धारित की गई है।

पोलीटेक्निक महाविद्यालय के समय में परिवर्तन

झालावाड़ 8 जुलाई/ राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि संस्थान का समय अग्रिम आदेश तक दोपहर 12 से सायं 7 बजे तक रहेगा।